*डी से पहले.*वी. सहगल, जे,

-उमेश कुमार,-याचिकाकर्ता।

*बनाम*

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 8864

10 फ़रवरी 1988.

*भारत का संविधान,*1950-अनुच्छेद 226-बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश--मेडिकल/परीक्षा की आवश्यकताएं-शर्त यह कि 2.5 पावर से अधिक पावर वाले चश्मे वाला उम्मीदवार पात्र नहीं है। 2.5 पावर से अधिक पावर वाले चश्मे का उपयोग करने वाले याचिकाकर्ता को नेत्र रोग विशेषज्ञों के बोर्ड द्वारा फिट पाया गया-मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उसे अयोग्य ठहराया। सूचना बुलेटिन के अनुलग्नक VI में निर्धारित शर्त - प्राचार्य द्वारा अपना प्रवेश रद्द करना - क्या ऐसी शर्त वैध ह

*आयोजित,* कि अब हम वैज्ञानिक रूप से उन्नत युग में जी रहे हैं। पिछले एक दशक से चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रम में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। यदि चिकित्सा सहायता से और विशेष रूप से चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के प्रावधान से दृष्टि को निर्धारित मानक तक ठीक किया जा सकता है, तो ऐसा कोई सांसारिक कारण नहीं है कि इस तरह से ठीक की गई दृष्टि वाले उम्मीदवार को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया जाए। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां पूरी तरह से दृष्टिहीन छात्रों को अलग-अलग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा रहा है, बेशक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में नहीं, लेकिन उन्हें डॉक्टरेट तक विभिन्न कला संकायों में प्रवेश की अनुमति दी जाती है ताकि वे अपने अंतर्निहित गुणों का उपयोग करने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त कर सकें। समाज की प्रगति और भलाई और साथ ही अपनी आजीविका कमाने के लिए। चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है कि 2.5 पावर से अधिक पावर वाले चश्मे वाले उम्मीदवार को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित क्यों किया जाना चाहिए, जबकि ऐसे पावर ग्लास आवश्यक मानक तक दोषपूर्ण दृष्टि को ठीक करते हैं, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रावधान ब्रोशर में इस आशय का जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से मनमाना, असंवैधानिक और अस्थिर है। अत: प्रावधान का यह भाग रद्द किया जाता है। (पैरा 8).

*अनुच्छेदों के अंतर्गत याचिका*भारत के संविधान के 226/227 में प्रार्थना की गई है कि मामले से संबंधित रिकॉर्ड तलब किए जाएं और उनका अवलोकन किया जाए;

*(i)* विवादित आदेश अनुलग्नक पी-3 को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाएगा;

*(ii) की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश*दोषपूर्ण दृष्टि वाले उम्मीदवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चश्मे की शक्ति से संबंधित आवश्यकता को गैरकानूनी, मनमाना और असंवैधानिक घोषित करने वाला परमादेश और, उक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के अनुसरण में, परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करते हुए निर्देश दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त आवश्यकता को लागू करने से बचना चाहिए;

*(iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझा जाए;*

*(iv) याचिकाकर्ता को इस याचिका की लागत प्रदान करें।*

*आगे यह प्रार्थना की गई है कि वर्तमान रिट याचिका के निपटारे तक, आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-3, जिसके तहत याचिकाकर्ता का प्रवेश रद्द कर दिया गया है, के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए और याचिकाकर्ता को अपनी पढ़ाई जारी रखने और कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी जाए। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स ^मैकेनिकल ब्रांच) में।*

*कोई अन्य अंतरिम आदेश, जो आवश्यक और समीचीन समझा जाए, न्याय के हित में भी पारित किया जा सकता है।*

याचिकाकर्ता के वकील गोबिंद गोयल।

प्रतिवादियों की ओर से वकील एसएस अहलावत।

प्रलय

*डीवी सहगल, जे.*(मौखिक)

1. यह निर्णय 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 8864 और 7713 का निपटारा करेगा। दोनों याचिकाओं में शामिल कानून और तथ्य के प्रश्न समान हैं। हालाँकि, तथ्यों और दस्तावेजों का संदर्भ 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 8864 से लिया जाएगा।

2. याचिकाकर्ता को छोटू राम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मुरथल (हरियाणा) में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश मिला। उन्हें 30 अक्टूबर, 1987 को पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को अपनी चिकित्सीय जांच करानी होती है और यदि वह चिकित्सकीय रूप से फिट पाया जाता है तो उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। चिकित्सा परीक्षण का उद्देश्य प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी सूचना बुलेटिन में निम्नानुसार बताया गया है: -

> "चूंकि इंजीनियरिंग पेशा एक अच्छी काया और सहनशक्ति की मांग करता है, प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह किसी भी जैविक दोष से पीड़ित नहीं है और वह कार्यक्रम और बाद में, के तनाव को सहन करने के लिए शारीरिक रूप से फिट है। पेशेवर ज़िंदगी।"

3. उक्त सूचना बुलेटिन के अनुबंध VI में उम्मीदवार की चिकित्सा फिटनेस के लिए निम्नलिखित नेत्र दृष्टि मानक निर्धारित हैं: -

> "3. दृष्टि की तीक्ष्णता का पता दो परीक्षणों (एक दूरी के लिए और दूसरा निकट दृष्टि के लिए) द्वारा लगाया जाएगा। चश्मे के साथ या उसके बिना दूर दृष्टि के परीक्षण 20 फीट पर होंगे।
>
> निकट दृष्टि का परीक्षण उम्मीदवार द्वारा चुनी गई किसी भी दूरी पर होगा।
>
> दृष्टि का मानक इससे कम नहीं होगा:

| | एक आँख दूसरी आँख बिना चश्मे वाली या बिना चश्मे वाली। |
|---|---|
| दूर दृष्टि.6/6 या 6/96/12 या 6/9 | |
| निकट दृष्टि.0.60.8 | |

> हाइपरमेट्रोपिक दृष्टिवैषम्य के लिए अनुमत चश्मा 2.5 डी से अधिक नहीं होना चाहिए

मायोपिया या मायोपिया दृष्टिवैषम्य के लिए अनुमत चश्मा 2.5 डी से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. याचिकाकर्ताओं को मेडिकल जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोनीपत के पास भेजा गया, जिन्होंने बदले में उनके मामले को रोहतक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भेज दिया। नेत्र रोग विशेषज्ञों के एक बोर्ड जिसमें दो एसोसिएट प्रोफेसर और नेत्र विज्ञान में एक व्याख्याता शामिल थे, ने याचिकाकर्ता की जांच की और निम्नलिखित निष्कर्ष दिया: -

"चश्मे के बिना दृष्टि:

| | |
|---|---|
| आर/ई (दाहिनी आंख): | 6/60. |
| एल/ई (बाईं आंख): | 6/60. |
| चश्मे से दृष्टि : | |
| दोबारा : | 6/6 (-4. ओडी. एसपीएच.) जेएल. |
| एल/ई : | 6/6 (-4.0डी. प्रति घंटा) जेएल। |
| रंग दृष्टि : | सामान्य। |
| कोष : | सरल निकट दृष्टि, |

हमारी राय में वह बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए उपयुक्त है।

5. नेत्र रोग विशेषज्ञों के इस निष्कर्ष के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक प्रमाण पत्र अनुबंध पी/2 जारी किया जिसमें कहा गया कि सूचना बुलेटिन के अनुबंध VI में निर्धारित मानक के अनुसार दोनों आंखों में चश्मे की संख्या के आधार पर, याचिकाकर्ता अयोग्य. हालाँकि, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उसे मानसिक या शारीरिक रूप से दुर्बलता की कोई बीमारी नहीं है जो उसे अनुपयुक्त बनाती है या भविष्य में इंजीनियरिंग कॉलेज, मुरथल सक्रिय आउटडोर सेवा में प्रवेश के लिए उसे अनुपयुक्त करने की संभावना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कॉलेज के निदेशकप्रिंसिपल, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुलग्नक पी/2 के परिणामस्वरूप, पत्र दिनांक 17 नवंबर के माध्यम से। 1987, अनुलग्नक पी/3, ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में याचिकाकर्ता के अनंतिम प्रवेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मेडिकल फिटनेस के निर्धारित मानक के अनुसार, हाइपरमेट्रोपिक दृष्टिवैषम्य के लिए 3.5डी तक और मायोपिया या मायोपिया दृष्टिवैषम्य के लिए 2.5डी तक चश्मे की अनुमति है और यह कि याचिकाकर्ता नेत्र दृष्टि के अपेक्षित मानक पर खरा नहीं उतर पाया है,

6. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने अपने प्रवेश को रद्द करने को चुनौती दी है, आदेश, अनुलग्नक पी/3 के माध्यम से और सूचना बुलेटिन के परिशिष्ट VI के विनियम 3 में निहित शर्तों के दायरे पर भी सवाल उठाया है, जिसका प्रभाव "चश्मा" है। मायोपिया या मायोपिया दृष्टिवैषम्य के लिए अनुमति 2.5D से अधिक नहीं होगी। की ओर से दाखिल लिखित बयान में! प्रतिवादी नंबर 2 के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि उपरोक्त विनियम में उल्लिखित आंखों की दृष्टि का मानक और पावर चश्मा आवश्यक है क्योंकि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के एक छात्र को विभिन्न उपकरणों और मशीनरी को संभालना होता है और डिग्री कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद उसे इंजीनियरिंग के पेशे में प्रवेश करने के लिए मानक दृष्टि बहुत आवश्यक है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। इंजीनियरिंग संस्थानों सहित लगभग सभी व्यावसायिक कॉलेजों में डिग्री कोर्स के लिए निर्धारित दृष्टि का मानक दोनों आँखों में 6/9 या दोषपूर्ण दृष्टि के मामले में चश्मे से ठीक की गई बेहतर आँख में 6/6 है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है। इसमें इंजीनियरिंग के विभिन्न संकायों में कई चार साल के डिग्री पाठ्यक्रम हैं। इस संस्थान द्वारा निर्धारित नेत्र दृष्टि के संबंध में शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता वही है जो मैंने ऊपर बताई है। इसका प्रमाण 4 फरवरी, 1987 को जारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली और प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वाराणसी के सूचना विवरणिका से मिलता है, जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। इंजीनियरिंग में चार साल के डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए इसी तरह का मानक वर्ष 1987-88 के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र के प्रवेश विवरणिका में निर्धारित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार प्रदान करता है: -

> "दृष्टि : सामान्य.
>
> दोषपूर्ण दृष्टि के मामले में, इसे दोनों आँखों में 6/9 या बेहतर आँख में 6/6 तक ठीक किया जाना चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को कलर ब्लाइंडनेस दोषपूर्ण दृष्टि से मुक्त होना चाहिए और पावर 3 से ऊपर के चश्मे का उपयोग नहीं करना चाहिए।

इस प्रकार यह. यह स्पष्ट है कि इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रमों के विभिन्न संकायों के छात्रों की दृष्टि में खराबी के मामले में यह प्रावधान है कि इसे दोनों आंखों में 6/9 या बेहतर आंखों में 6/6 पावर चश्मे का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों द्वारा तय किए गए मानक का याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के पैरा संख्या 7 में विशेष रूप से विरोध किया गया है। के संगत पैरा

लिखित बयान इस तथ्य का खंडन नहीं करता. वास्तव में इन संस्थानों के प्रासंगिक ब्रोशर आज मेरे द्वारा पढ़े गए हैं।

8. अब हम वैज्ञानिक रूप से उन्नत युग में रहते हैं। पिछले एक दशक से चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रम में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। यदि चिकित्सा सहायता से और विशेष रूप से चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के प्रावधान से दृष्टि को निर्धारित मानक तक ठीक किया जा सकता है, तो ऐसा कोई सांसारिक कारण नहीं है कि इस तरह से ठीक की गई दृष्टि वाले उम्मीदवार को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया जाए। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां पूरी तरह से दृष्टिहीन छात्रों को अलग-अलग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा रहा है, बेशक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में नहीं, लेकिन उन्हें डॉक्टरेट तक विभिन्न कला संकायों में प्रवेश की अनुमति दी जाती है ताकि वे अपने अंतर्निहित गुणों का उपयोग करने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त कर सकें। समाज की प्रगति और भलाई और साथ ही अपनी आजीविका कमाने के लिए। चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है कि 2.5 पावर से ऊपर के पावर ग्लास वाले उम्मीदवार को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित क्यों किया जाना चाहिए, जबकि ऐसे पावर ग्लास आवश्यक मानक तक दोषपूर्ण दृष्टि को ठीक करते हैं, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रावधान ब्रोशर में इस आशय का जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से मनमाना, असंवैधानिक और अस्थिर है। अत: प्रावधान का यह भाग रद्द किया जाता है।

9. परिणामस्वरूप, मैं इन दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति देता हूं। मैं 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 8864 में आदेश अनुलग्नक पी/3 को रद्द करता हूं। मैं प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देता हूं कि वे दोनों याचिकाकर्ताओं को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दें, जिसमें उन्हें चिकित्सकीय रूप से फिट मानकर प्रवेश दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं को इन रिट याचिकाओं की लागत भी मिलेगी जो रुपये निर्धारित है। प्रत्येक रिट याचिका में 500 रु.*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

*जितेश कुमार शर्मा*

*प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*

*झज्जर, हरियाणा*